

बेरोज़गारी का समाधान
राष्ट्रीय रोज़गार नीति
प्रस्तावित ड्राफ्ट

देश की बात फाउंडेशन द्वारा जारी

प्रस्तावना

आज देश बेरोज़गारी के भयावह संकट से जूझ रहा है। बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं। नए रोज़गार का सृजन करना तो दूर देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वेकेंसी पर भर्ती नहीं की जा रही है, जहां भर्ती हो भी रही है, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जिससे काम करने के बावजूद लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवार लोगों के सर पर मंडरा रही है। बेरोज़गारी के समाधान के लिए भारत में आज़ादी के बाद जिस तरह की नीतियों को बनाने की ज़रूरत थी, हमारी अब तक की सरकारों ने वैसी नीतियाँ नहीं बनाई। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज़ादी के सात दशकों के बाद भी, रोज़गार का अवसर - सभी के लिए बुनियादी ज़रूरतों में से एक, नहीं दिया जा सका है। पहले से ही बेरोज़गारी की मार झेल रही हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने और अधिक चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। यह भयावह स्थिति कृषि, विनिर्माण और सेवा सभी क्षेत्रों की है।

आज बेरोज़गारी की समस्या सिर्फ गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि जो लोग बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं, वे भी इसका दंश झेल रहे हैं। कोई अगड़ी जाति से आता हो, पिछड़ी जाति से आता हो, दलित समुदाय से संबंध रखता हो या फिर आदिवासी हो, बेरोज़गारी के संकट की इस चुनौती से सभी जूझ रहे हैं। चाहे कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर थर्ड जेंडर हो, कोई भी बेरोज़गारी की इस मार से नहीं बच पाया है।

बेरोज़गारी का समाधान क्या है ? 'देश की बात फाउंडेशन' जो एक वैचारिक संगठन है और 'सकारात्मक राष्ट्रवाद' की विचारधारा के आधार पर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। सकारात्मक राष्ट्रवाद का मानना है कि बेरोज़गारी की समस्या का समाधान - 'राष्ट्रीय रोज़गार नीति' है। 'सकारात्मक राष्ट्रवाद' के अनुसार रोज़गार सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में सबकी हिस्सेदारी का भी मसला है। रोज़गार के ज़रिए न सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के ज़रिए आत्म संतुष्टि व आत्म सम्मान भी पूरा होता है। जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, रोज़गार का सवाल राष्ट्र निर्माण में उनकी हिस्सेदारी का भी मसला है। इंसान सिर्फ रोटी खाकर जिंदा नहीं रहता। रोटी खाने से उसके शरीर की ज़रूरत पूरी होती है। अपनी प्रतिभा से गांव का एक मज़दूर जिसे लोग अकुशल मानते हैं, वो भी जब अपने सिर पर मिट्टी ढो-ढो कर टूटी-फूटी पगडंडियों पर एक सड़क बनाता है और जब उस सड़क पर लोग चलते हैं तो उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है। उसको अपने जिंदगी की सार्थकता महसूस होती है। एक महिला अपने घर के अंदर रोजाना के काम करने के बावजूद जब एक छोटा सा स्वेटर बुनती है और उस स्वेटर को जब उसका बच्चा पहनता है, उसका पति पहनता है, उसकी बहन पहनती है तब उसे मानसिक संतुष्टि मिलती है, एक सुकून मिलता है। इंसान केवल शरीर नहीं है। उसके शरीर के साथ-साथ उसकी एक मानसिक संरचना भी है। इस देश के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर, पीएच. डी. की डिग्रियां लेकर आने वाले युवाओं को अगर कुछ करने का मौका नहीं मिलता है तो वे मानसिक अवसाद के शिकार होते हैं।

इसलिए पहली बात जो इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है वो ये कि रोजगार का मसला व्यक्ति निर्माण व राष्ट्र निर्माण का मसला है और राष्ट्र निर्माण में इस देश के सभी लोगों के हिस्सेदारी का मसला है। क्योंकि जब तक यह दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा तब तक रोजगार के मसले को केवल कुछ पैसों और कुछ जरूरतों को पूरा करने की कवायद तक सीमित करके देखा जाएगा।

दूसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है कि कुदरत ने इस देश को सब कुछ दिया है, इस देश में जितनी नदियां बहती हैं दुनिया के कम देशों में इतनी नदियां बहती है। इस देश में जितनी उपजाऊ जमीन है दुनिया के कम देशों के पास उतनी उपजाऊ जमीन है। इस देश में जितना खनिज पदार्थ है दुनिया के कम देशों के पास उतना खनिज पदार्थ है। इस देश के अंदर जितना मैन पावर है दुनिया के कम देशों के पास उतना मैन पावर है। इस देश में जितना माइंड पावर है दुनिया के कम देशों के पास उतना माइंड पावर है। सब कुछ तो है फिर दिक्कत कहाँ है ? दिक्कत लोगों की इच्छाशक्ति और सरकारों की नियत की है, उनके विज्ञान की है। आज़ादी के बाद अलग-अलग पार्टियों की इस देश में सरकार रही है लेकिन आज तक इस देश के लिए एक 'राष्ट्रीय रोजगार नीति' क्यों नहीं बना पाए ? अगर सरकारों की नीतियाँ सही थी, नियत सही थी, उनका संकल्प सही था, देश के अंदर रोजगार को विकसित करने की इच्छा शक्ति थी तो 75 साल बाद भी हमारे देश की सरकारें, देश के लोगों को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक 'राष्ट्रीय रोजगार नीति' क्यों नहीं बना पाई ?

दुनिया का अब तक का जो इतिहास है उससे पता चलता है कि कोई भी देश, अपने देश के लोगों के दम पर आगे बढ़ा है। दुनिया से कर्ज़ मांग कर कोई देश आगे नहीं बढ़ा है। हम जितने विकसित राष्ट्रों को जानते हैं वे विकसित राष्ट्र वो हैं, जिन्होंने अपने देश की प्राकृतिक संपदा पर भरोसा किया, जिन्होंने अपने देश के लोगों पर भरोसा किया, जिन्होंने अपने देश की सोच पर भरोसा किया, जिन्होंने अपने देश की तासीर पर भरोसा किया।

आम तौर पर देश और दुनिया में एक परंपरा रही है, लोग समस्या से उपजे संकट का विरोध तो करते हैं, मगर समाधान के लिए काम नहीं करते। 'देश की बात फाउंडेशन' ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए देश के सामने 'राष्ट्रीय रोजगार नीति' प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। देश लोगों से बनता है, सरकार लोगों से बनती है इसलिए अगर सरकार समाधान नहीं निकाल रही है तो देश के लोगों को, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन्हें आगे बढ़ कर समाधान निकालने की पहल करनी होगी।

कई लोग पूछते हैं कि 'देश की बात फाउंडेशन' सरकार तो है नहीं, फिर पॉलिसी क्यों बना रही है ? 'देश की बात फाउंडेशन' सरकार नहीं है लेकिन देश के लोग सरकार हैं। सरकार देश के लोग से है। देश हमारा है इसलिए संकट का समाधान निकालने के लिए पहल भी हमें ही करनी पड़ेगी। भारत के अंदर जब-जब सत्ता और सरकार की ताकत या उसके दायरे छोटे पड़ने लगे, मां भारती के गर्भ से ऐसे बेटे-बेटियाँ पैदा हुए जिन्होंने आगे के रास्ते के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। नये रास्ते को बनाया। नई दिशाओं की खोज की। दुनिया का इतिहास भी इसी के दम पर आगे बढ़ा है और भारत का इतिहास भी इसी के दम पर आगे बढ़ता रहा है। आज अगर देश को आगे ले जाना है तो देश की समग्र ऊर्जा को समाहित करके राष्ट्र के निर्माण का रास्ता विकसित करना होगा और उसी का दस्तावेज है 'राष्ट्रीय रोजगार नीति'।

‘राष्ट्रीय रोज़गार नीति’ का यह ड्राफ्ट दो भागों में बंटा है - पहले भाग में मौजूदा हालात में भारत में बेरोज़गारी की स्थिति के बारे में बताया गया है और ड्राफ्ट के दूसरे भाग में 10-M के द्वारा बेरोज़गारी की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है।

भाग - 1

भारत में बेरोज़गारी की स्थिति

भारत में जनसंख्या प्रोफ़ाइल और निर्भरता अनुपात

भारत विशेष रूप से अपनी जनसंख्या के मामले में एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। वर्तमान में, भारतीय जनसंख्या लगभग 1.34 बिलियन है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.2 प्रतिशत है, इस वृद्धि दर के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि भारत 2030 तक लगभग 1.53 बिलियन की आबादी के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। भारत में कुल जनसंख्या की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु के हैं और लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं। भारतीय आबादी का एक पहलू इसका सशक्त जनसांख्यिकीय लाभांश है जो कि कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि का कुल जनसंख्या में वृद्धि से अधिक होने के कारण है। परिणामस्वरूप, आने वाले वर्षों में भारत में आश्रितों की संख्या कम होगी और जनसंख्या का सबसे बड़ा वर्ग कार्यशील आयु वर्ग में होगा। यह भारत के लिए प्रति श्रमिक अधिक आय, अधिक बचत एवं अधिक पूंजी और अधिक विकास उत्पन्न करने का एक अवसर है। भारत अभी इस दौर से गुजर रहा है। यह भारत के लिए उच्च विकास और समृद्धि हासिल करने का सबसे बड़ा अवसर है। हालाँकि, इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ तभी प्राप्त होगा जब भारत इस अतिरिक्त श्रम शक्ति को लाभकारी रोज़गार प्रदान करने में सक्षम होगा। यदि कामकाजी आबादी में सभी को लाभकारी रोज़गार मिले, तो ही अधिक आय और समृद्धि का सृजन होगा।

भारत में रोज़गार और बेरोज़गारी की स्थिति

2019 में 5.27 प्रतिशत की तुलना में 2020 में भारत की बेरोज़गारी दर 7.11 प्रतिशत थी। वैश्विक औसत बेरोज़गारी दर 2019 में 5.37 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 6.47 प्रतिशत हो गई, भारत में बेरोज़गारी दर वैश्विक औसत बेरोज़गारी दर की तुलना में अधिक है। बेरोज़गारी दर, काम करने के इच्छुक और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की संख्या के बारे में बताती है, जो श्रम बल के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। दूसरी ओर श्रम बल को 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में हैं। भारत में श्रम बल की भागीदारी दर वर्ष 2017-18 में 49.80 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2019-20 के लिए 42.7 प्रतिशत है (MOSPI, 2020)। उच्च बेरोज़गारी और साथ में श्रम बल की भागीदारी दर में गिरावट भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का कारण है। भारत का कार्यबल महिलाओं की भागीदारी में चिंताजनक गिरावट से जूझ रहा है। विश्व बैंक (2020) के अनुसार, देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 1990 में 30.27 प्रतिशत से गिरकर 2019 में 20.8 प्रतिशत हो गई है। इन आंकड़ों में अगर अर्द्ध बेरोज़गारों की संख्या जोड़ी जाए तो ये आंकड़े और भी चिंताजनक होंगे।

क्षेत्रवार रोज़गार क्षमता

2020 में, भारत में 41.49 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे, जबकि 26.18 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र में और 32.33 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में कार्यरत थे। कुल रोज़गार में अपने घटते योगदान के बावजूद, कृषि क्षेत्र अभी भी सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। जबकि अधिकांश भारतीय कार्यबल अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन यह सेवा क्षेत्र है जिसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में अधिकांश योगदान है। वास्तव में, आर्थिक क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद के वितरण के अनुसार, कृषि क्षेत्र मात्र 15 प्रतिशत योगदान के साथ पिछड़ जाता है।

भारत में रोज़गार की प्रकृति

2017-18 में किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, आकस्मिक काम में लगे श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों का लगभग 24.16 प्रतिशत है। स्वरोज़गार करने वाले लोग कुल श्रमिकों का 52.04 प्रतिशत थे। स्व-रोज़गार के इतने बड़े अनुपात का तात्पर्य है कि बहुत से लोगों को केवल इसलिए नियोजित के रूप में गिना जा रहा है क्योंकि वे किसी तरह अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्व-नियोजित लोग आमतौर पर अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं और कोविड -19 महामारी जैसे किसी भी संकट के समय में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कुल श्रमिकों में से केवल 23 प्रतिशत ही औपचारिक और अनौपचारिक नियमित वेतन या वेतन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें मासिक आधार पर एक निश्चित वेतन की गारंटी दी जाती है और वे सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 75 प्रतिशत श्रमिकों को आम तौर पर सरकार की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है और उन्हें कम आय और नौकरी की सुरक्षा की कमी के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।


भारत में युवा बेरोज़गारी

2011 की जनगणना के अनुसार, कुल आबादी का 20 प्रतिशत युवा हैं और कुल युवा आबादी के 44.2 प्रतिशत युवा गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उच्च युवा बेरोज़गारी के कारणों को उनकी मार्केट योग्य शिक्षा व कौशल की कमी से जोड़ा जाता है।


क्षेत्रवार रोज़गार और श्रम बाज़ार के रुझान : महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियां

भारत में विभिन्न क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और तदनुसार रोज़गार में योगदान के बीच एक बेमेल देखने को मिलता है। विकसित देशों के ऐतिहासिक अनुभव के विपरीत, जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट के साथ-साथ कृषि पर निर्भर कार्यबल की हिस्सेदारी में समान गिरावट आई थी, भारत में

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी पिछले दो दशकों में लगभग आधी हो गई है, लेकिन इसकी कार्यबल में हिस्सेदारी बहुत धीरे-धीरे कम हुई है।



सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान



रोज़गार सृजन में क्षेत्रवार योगदान

2009-10 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने सकल घरेलू उत्पाद में 14.6 प्रतिशत का योगदान दिया लेकिन इस क्षेत्र में कार्यबल का 51.76 प्रतिशत कार्यरत था। पिछले दो दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी शायद ही बढ़ी हो, इसी तरह रोजगार में इसकी हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य देशों के विकास के अनुभवों में देखा गया व्यावसायिक बदलाव यहां नहीं हुआ या भारत ने अपने विकास के अनुभव में विनिर्माण को दरकिनार कर दिया। जहां तक सेवा क्षेत्र का संबंध है, हालांकि इस क्षेत्र को अक्सर अंतिम सहारे के नियोक्ता के तौर पर माना जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में अपने योगदान के मुकाबले रोजगार के योगदान में पिछड़ गया है। इससे पता चलता है कि हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में लगभग पूरी गिरावट की भरपाई सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि से हुई है, लेकिन नौकरियों में तदनुसार वृद्धि न होने के कारण भरपाई नहीं हुई है। आज भी कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रों में, हालांकि सेवा क्षेत्र में कार्यबल का सबसे बड़ा प्रतिशत कार्यरत है, लेकिन अधिकांश नौकरियां कम मजदूरी और नगण्य श्रम सुरक्षा के साथ अनौपचारिक नौकरियां हैं।

बेरोजगारी की स्थिति को समझने से यह साफ दिखता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की ज़रूरत है।

भाग - 2

10 एम : राष्ट्रीय रोज़गार नीति की बुनियाद

1. मिनी टेक्नोलॉजी - लघु प्रौद्योगिकी

भारत के आर्थिक विकास का स्रोत औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ते हुए कृषि क्षेत्र से सीधे सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। यदि हम अपने विकास और रोज़गार सृजन में बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, तो हमें लघु प्रौद्योगिकी के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन पर ध्यान देना होगा। लघु प्रौद्योगिकी हमारे देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान कर सकती है। लघु प्रौद्योगिकी मूल रूप से एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों - जल, जंगल और जमीन का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने में हमारी मदद करेगी। मोटे तौर पर, लघु प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं; जिसमें कम निवेश और कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर्यावरण के अनुकूल होती है, संसाधन सक्षम होती है, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करती है, श्रम केंद्रित होती है और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देती है।

निश्चित रूप से, सवाल यह उठता है कि हमें यह लघु प्रौद्योगिकी कहाँ से मिल सकती है? दरअसल, यह लघु प्रौद्योगिकी नई नहीं है, यह हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा रही है। एक समय में, इस लघु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे। 200 साल के ब्रिटिश शासन, अनैतिक पूंजीवाद और बड़े पैमाने पर उत्पादन पर हमारी निर्भरता के कारण हम इसके उपयोग और प्रासंगिकता को भूल गए हैं। हमें स्थानीय रूप से उपलब्ध और उपयोग के योग्य लघु प्रौद्योगिकियों को पहचानना होगा, इसे सुधारना होगा और लोकप्रिय बनाना होगा। हालांकि, समय के साथ हालात और प्राथमिकताएं बदल गई हैं, इसलिए हमें अनुसंधान और विकास के माध्यम से लघु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की आवश्यकता है।

रोज़गार सृजन और विकास हेतु वैकल्पिक प्रतिमान के रूप में लघु प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए, केंद्रीय स्तर पर एक अलग संवैधानिक निकाय स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित संवैधानिक निकाय जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्य करेगा;

- (i) यह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी का मानचित्रण करेगा।
- (ii) यह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर रोज़गार के अवसरों का मानचित्रण करेगा।
- (iii) यह कौशल, लिंग एवं सामाजिक-धार्मिक स्थिति के आधार पर उपलब्ध श्रम शक्ति का आकलन करेगा।
- (iv) यह कौशल, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के मामले में अंतर का आकलन करेगा।
- (v) यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों की मदद से उपरोक्त अंतराल को भरेगा।

(vi) यह लाभप्रद और टिकाऊ लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग करते हुए बहुत सारे आंकड़ों का अध्ययन करके एक जिला स्तरीय रोजगार योजना बनाएगा।

(vii) लघु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रोजगार सृजन के अपने कार्य को पूरा करने के लिए यह एक प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करेगा।

लघु प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता

1.1 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भीतर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में लघु प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए। एक ओर तो यह छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता में सुधार करेगा, दूसरी ओर यह बड़ी मात्रा में सब्जियों, फलों और वन उत्पादित वस्तुओं और अन्य स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ावा भी देगा जो या तो औने-पौने दामों पर बेची जाती हैं या फिर बर्बाद हो जाती है। नतीजतन, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। साथ ही, यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा।

1.2 लघु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और अपनाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण, बहु-फसल, जैविक खेती, जड़ी-बूटी और औषधीय खेती आदि भी होनी चाहिए।

1.3 सरकार को लघु प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ-साथ महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

1.4 ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र जैसे ऑर्गेनिक साबुन, चटाई, कला और शिल्प, आयुर्वेदिक दवाओं आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए लघु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह उम्मीद की जा सकती है कि लघु प्रौद्योगिकी न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह ग्रामीण महिलाओं को उनकी शिक्षा और ज्ञान की परवाह किए बिना पर्याप्त रूप से रोजगार देगी और सशक्त बनाएगी।

1.5 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलावा, शहर में विनिर्माण क्षेत्र में भी लघु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

1.6 सामान्य रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अलग-अलग तरह के एवं बड़ी संख्या में स्टार्टअप इको-सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वास्तव में, हम उन शिक्षित युवाओं से अपेक्षा कर सकते हैं जो कठिन परिस्थितियों में शहरों और विदेशों में काम कर रहे हैं, वे वापस आकर अपने गाँव में काम करें।

1.7 लघु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले उद्यमियों के लिए 'प्रोड्यूसर्स एंड फार्मर्स एसोसिएशन' जैसे कोऑपरेटिव संगठनों का विकास होना चाहिए।

लघु प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित, भारत के गांवों और छोटे कस्बों में लाखों छोटे उद्यम खुलेंगे, जो हमारी आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार देंगे और मुनाफे में स्वामित्व के माध्यम से सशक्त बनाएंगे।

2. मिनिमम क्रेडिट सपोर्ट - न्यूनतम ऋण सहायता

ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सरल व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, ताकि क्षमतावान उद्यमी लघु प्रौद्योगिकी को अपना सकें और उद्यम स्थापित कर सकें। वर्तमान में, भारत में ग्रामीण ऋण मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता है। मौजूदा ग्रामीण ऋण प्रणाली शायद ही ग्रामीण विनिर्माण के महत्व को पहचानती है, लघु प्रौद्योगिकी के बारे में बात ही क्या की जाए। सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रदान किए गए मुद्रा योजना द्वारा ऋण अत्यधिक अपर्याप्त और बड़े पैमाने पर शहरी केंद्रित हैं। मुद्रा योजना में सूक्ष्म उद्यम अपनी पहचान खो चुके हैं। नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा ग्रामीण उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान करने की आवश्यकता है। हम लघु प्रौद्योगिकी पर आधारित लघु उद्यमों के लिए एक विश्वसनीय न्यूनतम ऋण सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित करते हैं।

2.1 वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई जैसे औपचारिक वित्तीय संस्थानों को उचित नियमों और शर्तों पर लघु उद्यमों के लिए ऋण देने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। विशेष रूप से नियम और शर्तों में, व्यापार प्रस्ताव की व्यवहार्यता के आधार पर, ब्याज की कम दरों, आसान पुनर्भुगतान शेड्यूल, कॉलेटरल मुक्त उधार के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। विशेष रूप से, मौजूदा ऋण देने की प्रक्रिया की कमियों का आकलन किया जाना चाहिए और उनमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि लघु उद्यमों को पर्याप्त ऋण प्रदान किया जा सके।

2.2 बैंकों को, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, देश के प्रत्येक ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत में अपने कार्यालय स्थापित करके अपने कवरेज का विस्तार करना चाहिए।

2.3 विलफुल डिफॉल्ट की संभावना को कम करने के लिए, ऋण देने की प्रणाली में पारदर्शिता तथा उधार देने वाली संस्थाओं को साइकोमेट्रिक मानदंड, यानी उधारकर्ता की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का आकलन, अपनाना चाहिए।

2.4 मौजूदा मुद्रा योजना को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने एवं सही से तैयार करने की आवश्यकता है।

2.5 औपचारिक वित्तीय संस्थानों को योग्य उद्यमियों को रियायती ऋण भी प्रदान करना चाहिए जो लघु प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि, ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को समय के साथ फंड के उपयोग और संगठन के कामकाज की निगरानी करनी चाहिए।

2.6 सरकार अन्य हितधारकों जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ लघु उद्यमों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए 'सार्वजनिक-निजी निवेश कोष' स्थापित कर सकती है। न केवल व्यक्तियों को, बल्कि विभिन्न श्रेणियों की सहकारी समितियों और लघु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले उत्पादक संघों को भी ऋण सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे इसे आगे अपने जरूरतमंद सदस्यों को दे सकें।

2.7 अंत में, चूंकि महिलाएं और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी, जिन्हें अक्सर औपचारिक स्रोतों से पर्याप्त ऋण नहीं मिलता है, वे जमींदारों और बिचौलियों के चंगुल में पड़ जाते हैं, जो उनसे उच्च ब्याज दर वसूलते

हैं, ऐसे लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि ये उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम ऋण प्रदान कर सकें।

3. माइंडसेट एंड स्किल ट्रेनिंग - मानसिकता और कौशल प्रशिक्षण

यहां तक कि अगर लघु प्रौद्योगिकी विकसित कर दी जाती है और उचित नियम व शर्तों पर ऋण सहायता आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तब भी कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं होने पर लघु उद्यम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों अलग-अलग होते हैं। ग्रामीण कार्यबल अशिक्षित या अनपढ़ हो सकता है लेकिन यह मानना गलत है कि उनके पास कौशल नहीं है या वे कौशल नहीं सीख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम बाजार में जहां तक सामाजिक-धार्मिक और लैंगिक भेदभाव का संबंध है, इसके प्रति हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। जाति, धर्म और लिंग की परवाह किए बिना हमें प्रत्येक पेशे में हर एक के कौशल, ज्ञान और दक्षता को स्वीकार करने के लिए, प्रशासनिक लोगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की सोच को बदलने की लिए काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण देना पड़ेगा। लघु प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता के बाद अशिक्षित और शिक्षित कार्यबल दोनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। अशिक्षित और स्कूल छोड़ने वाले लोगों को लघु प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर स्वरोजगार के अवसरों की ओर लाया जा सकता है। चूंकि, उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं का जिसमें लघु प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऋण और मार्केटिंग से संबंधित जानकारी शामिल हैं, मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में ब्लॉक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और प्रत्येक ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

3.1 जहां तक शिक्षित कार्यबल का संबंध है, मौजूदा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम प्रणाली को नया स्वरूप देने की आवश्यकता है। लघु प्रौद्योगिकी पर आधारित रोजगार के संभावित अवसर और आवश्यक प्रशिक्षण उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। वास्तव में, मौजूदा शिक्षा प्रणाली को मौजूदा लघु प्रौद्योगिकियों को पहचानने और नई लघु प्रौद्योगिकियों के निर्माण में सक्रिय रूप से सम्मिलित होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। इसके साथ-साथ, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को युवाओं के कौशल को सुधारने और नए कौशल सिखाने की आवश्यकता है। अंत में, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति - 2015 को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए।

4. मिनी मार्केट - लघु बाजार

लघु प्रौद्योगिकी को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर लघु बाजार होने चाहिए। लघु बाजार, लघु उद्यमों के लिए आवश्यक कच्चे माल और उत्पादित वस्तुओं के लिए एक स्थानीय बाजार उपलब्ध कराएंगे। यह सहकारी समितियों के गठन और उनके विस्तार में भी मदद करेगा।

4.1 लघु बाज़ार का तात्पर्य मुख्य रूप से ब्लॉक, तालुका, शहर और जिला स्तर पर बाज़ार से है। लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित सामान को पहले स्थानीय बाज़ार में बेचा जाएगा। यह एक निर्माता के बाज़ार की तरह होगा, जहां वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए बड़ी संख्या में खरीदारों से मिलेंगे। बेचने के अलावा वे इस बाज़ार से कच्चा माल और प्रौद्योगिकी भी खरीद सकेंगे।

4.2 सामान्य रूप से किसानों और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को उनकी फसलों, जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, फल आदि का उचित मूल्य नहीं मिलता है, उन्हें अपने उत्पादन को बेचने के लिए दूर के बाज़ारों तक पहुंचाने में भी खर्च करना पड़ता है। दूर के बाज़ारों में वे बिचौलियों की दया पर निर्भर रहते हैं, उन्हें न केवल उच्च कमीशन का भुगतान करना पड़ता है बल्कि अपनी फसल की मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर एक लघु बाज़ार के विकास से न केवल उनकी ट्रांसपोर्ट में आने वाली लागत कम होगी बल्कि उन्हें मजबूरन बिक्री करने से भी बचाया जा सकेगा।

4.3 स्थानीय स्तर पर स्टोरेज सुविधा के अभाव में किसान अपनी उपज को नजदीकी उपलब्ध स्टोरेज सुविधा तक ले जाने में ट्रांसपोर्ट में आने वाली गैर-ज़रूरी लागत वहन करते हैं। अक्सर उनका उत्पादन बेकार चला जाता है या औने-पौने दामों पर बेच दिया जाता है। लघु बाज़ार के विकास के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर लघु स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट में आने वाली अतिरिक्त लागत और उत्पादन को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।

4.4 लघु बाज़ार कृषि संबंधित सामान खरीदने का बाज़ार भी होगा, जहां किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, उचित मूल्य पर सामान की खरीद कर सकेंगे जिससे उनका समय और पैसा बचेगा।

4.5 लघु बाज़ार के साथ-साथ मानसिकता में बदलाव और कौशल प्रशिक्षण की वजह से हमारे पारंपरिक कला और शिल्प उत्पादों की मांग शुरू होगी। यह हमारी कारीगरी, संस्कृति और विरासत को पुनर्जीवित करने में हमारी मदद करेगा। यह उन लाखों लोगों को स्वामित्व की भावना प्रदान करेगा जो लघु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लघु उद्यमों में संलग्न होंगे।

4.6 लघु बाज़ार के विकास से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि वे अपने उत्पाद के लिए अपने पड़ोस में खरीदार ढूंढ सकेंगे।

4.7 प्रस्तावित लघु बाज़ार में महिलाओं के लिए पर्याप्त जगह और सुरक्षा होगी।

4.8 लघु प्रौद्योगिकी एवं लघु बाज़ार का उपयोग करने वाले उद्यमियों के लिए उत्पादक या किसान संघ जैसे सहकारी संगठनों का निर्माण होना चाहिए।

4.9 अंततः लघु बाज़ार ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का एक बड़ा स्रोत होगा। लघु बाज़ार स्थानीय कार्यबल के एक हिस्से को व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में संलग्न करेगा।

5. मल्टीनेशनल, इंटर-स्टेट एंड इंटरा-स्टेट सप्लाई चैन - बहुराष्ट्रीय, अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला

लघु उद्यमों के उत्पाद न केवल स्थानीय उपयोग के लिए उपलब्ध होने चाहिए, बल्कि उन्हें वैश्विक, अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय मांग को भी पूरा करना चाहिए। दरअसल, विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़कर अतिरिक्त मांग पैदा करने की जरूरत है।

5.1 वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा होने के कारण बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं देशों के बीच तैयार और अर्ध-तैयार दोनों तरह के उत्पादों के लेन-देन की सुविधा प्रदान करती हैं। हालांकि बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं भारत में काम कर रही हैं, लेकिन वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी हैं। बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को लघु बाजारों से जोड़ा जाएगा जिससे लघु उद्यमों का वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा।

5.2 बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के अलावा लघु बाजार को अंतर-राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एक राज्य से लघु उद्यमों के उत्पाद दूसरे राज्यों तक पहुंच सकेंगे।

5.3 इसी तरह, लघु बाजारों को अंतरा-राज्यीय बाजार से भी जोड़ा जाएगा जिससे एक जिले के लघु उद्यमों के उत्पादों को दूसरे जिलों में खरीदार मिल सकेंगे।

5.4 उपरोक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ लघु बाजारों के जुड़ाव से, लघु उद्यमों के लिए वैश्विक, अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय बाजारों तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

5.5 लघु बाजार श्रृंखला के अलावा इंटरनेट पर ऑनलाइन 'ई - लघु बाजार' विकसित करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। जिससे लघु उद्यम विभिन्न ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टलों के माध्यम से दुनिया भर में अपने ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वर्तमान में, ग्रामीण भारत ई-मार्केट पोर्टल्स पर ज्यादातर खरीददार है। लेकिन इसे इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय उद्यमी भी विक्रेता के तौर पर अपने उत्पाद बेच सकें।

5.6 लघु बाजार में बेचे जाने वाले उत्पादों को भारत के अंदर और बाहर तभी स्वीकार किया जाएगा, जब यह उत्पाद निश्चित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करेंगे। इसलिए जिला स्तर पर ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को नकली या पूंजीपतियों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित नकली मशीन उत्पादों के हमले से बचाने के लिए, जियो टैगिंग, प्रमाणिकता अंकन किया जाना चाहिए। वास्तव में, स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पाद को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने के लिए, इसकी उत्पत्ति, उत्पादन प्रक्रिया, सांस्कृतिक और विरासत पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

5.7 उपरोक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए बेहतर तालमेल, सूचना प्रणाली और सहयोग की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारों, दाताओं और गैर सरकारी संगठनों को बाजार की जानकारी के आदान-प्रदान और बेहतर सहयोग की सुविधा के लिए 'मार्केट लिंकेज कॉर्डिनेटिंग मैकेनिज्मस' स्थापित करना चाहिए।

5.8 इसके अलावा शहरी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, रेफ्रीजरेटिड ट्रकों जैसे लॉजिस्टिक उपायों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार, शॉपिंग मॉल और फूड पार्कों की स्थापना, एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग सुविधाओं आदि की आवश्यकता होगी ताकि लघु बाज़ार, बहुराष्ट्रीय, अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला को आपस में जोड़ा जा सके।

5.9 अंत में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और पावर सप्लाई में भारी सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। स्थानीय उत्पादकों को बिचौलियों और सप्लायर एजेंटों द्वारा शोषण से बचाने के लिए, एक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित, तकनीकी रूप से सक्षम प्रभावी 'मार्केट वॉचडॉग' बनाने की आवश्यकता है।

बहुराष्ट्रीय, अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ लघु बाज़ार का जुड़ाव न केवल लघु उद्यमों के लिए एक बाज़ार प्रदान करेगा बल्कि यह ग्रामीण लोगों के लिए रोज़गार के व्यापक अवसर, उच्च मज़दूरी और जीवन स्तर में सुधार भी पैदा करेगा।

6. मैन्युफैक्चरिंग इन स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज - छोटे, मझौले और बड़े उद्योगों में विनिर्माण

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों की गतिविधियों को शामिल करने वाले लघु उद्यमों से परे, विनिर्माण गतिविधि में शामिल छोटे, मझौले और बड़े उद्योगों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विनिर्माण गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। इसके अलावा छोटे, मझौले और बड़े उद्योग अपनी प्रकृति में मोटे तौर पर शहरी केंद्रित हैं।

6.1 छोटे और मझौले उद्योग

छोटे और मझौले उद्योग शहरी औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि वे कुशल कार्यबल को भारी रोज़गार प्रदान करते हैं और मूल्यवर्धन और निर्यात में उचित योगदान देते हैं। भारत एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था है और उत्पादन के श्रम गहन साधनों में तुलनात्मक लाभ रखता है। इसलिए, सीमित संसाधनों और मध्यम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके छोटे और मझौले उद्योगों के माध्यम से विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्रम प्रधान और निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कपड़ा और परिधान, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, रत्न और गहने, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि हो सकते हैं। इसके अलावा, छोटे और मझौले उद्योगों के संदर्भ में लघु प्रौद्योगिकी के निर्माण की संभावना की भी तलाश की जानी चाहिए।

6.1.1 क्लस्टर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर छोटे और मझौले उद्योगों का मजबूत विकास संभव हो सकता है। क्लस्टरिंग से तात्पर्य संबंधित उद्योगों के आस-पास स्थित छोटी फर्मों के आपस में संयोजन से है। क्लस्टरिंग सड़क, ऊर्जा, पानी, बिजली, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान को आसान बनाता है। यह

छोटे और मझौले उद्योगों को कम लागत पर आवश्यक सुविधा प्राप्त करने में भी मदद करता है क्योंकि वे कुल उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करते हैं। यह उन्हें उनके कच्चे माल और मार्केटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करता है क्योंकि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और उत्पाद के खरीदार दोनों एक ही बार में कई यूनिट्स में क्रय-विक्रय कर सकते हैं। कुल मिलाकर, क्लस्टरिंग छोटे और मझौले उद्योगों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करती है।

6.1.2 क्लस्टरिंग के अलावा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स (EPZ) का बड़े स्तर पर निर्माण करके मझौले और बड़े उद्योगों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

6.2 बड़े उद्योग

आजादी के बाद पूँजी की भीषण कमी के बावजूद भारी और बड़े उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। इन वर्षों में हमारे बड़े उद्योग महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हुए हैं। वे निर्यात, रोजगार और मूल्यवर्धन में बहुत योगदान करते हैं। बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करने के लिए हम उन क्षेत्रों में उनकी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं जहां हमारे पास तुलनात्मक लाभ हैं, जैसे विमानन, रक्षा संबंधी वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान, ऊर्जा, पूँजी प्रधान सामान आदि। वास्तव में, लघु प्रौद्योगिकी से संबंधित मशीनों और उपकरणों के उत्पादन में बड़े उद्योग बहुत उपयोगी होंगे। बड़े उद्योग न केवल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन को सफल बनाएगा बल्कि यह पर्याप्त रोजगार भी पैदा करेगा।

इस प्रकार, छोटे, मझौले और बड़े उद्योगों के विकास से देश में रोजगार के अवसर में गुणात्मक सुधार होगा।

7. मिनिमम इकोनॉमिक सपोर्ट एंड जॉब सिक्योरिटी - न्यूनतम आर्थिक सहायता और नौकरी की सुरक्षा

हम सभी जानते हैं कि युवाओं के श्रम बाजार में शामिल होने और उचित रोजगार के अवसर प्राप्त करने के बीच हमेशा एक समय अंतराल होता है। इसके अलावा, नियोजित श्रमिकों के नौकरी खोने और दोबारा नौकरी पाने के बीच एक समय अंतराल होता है, जो चक्रीय, मौसमी और कौशल संबंधी कारकों के कारण उत्पन्न होता है। इस तरह का समय अंतराल युवाओं के लिए संकटपूर्ण अवधि है क्योंकि उस दौरान उनका अस्तित्व दांव पर लगा रहता है। उक्त संकट को कम करने के लिए सभी बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में न्यूनतम आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए और सभी श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक को समान कार्य के लिए समान भुगतान मिलना चाहिए।

7.1 हाल के वर्षों में नव उदार नीतियों, विशेष रूप से रोजगार की ठेकेदारी व्यवस्था में 'हायर एंड फायर नीति' के कारण श्रमिकों का संकट बढ़ गया है। आज सरकारी से लेकर निजी क्षेत्र तक हर जगह नौकरियों का संविदाकरण

हो गया है। एक संविदा कर्मचारी के पास नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और वह नियोक्ता के हाथों निर्मम शोषण के अधीन होता है। अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र की बदौलत उनकी नौकरी नियोक्ता की दया पर निर्भर है। तकनीकी कारक हों, चक्रीय कारक हो, मौसमी कारक हो या फिर कोविड -19 जैसा कोई अचानक संकट हो, सबसे पहले नौकरी खोने वाले अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र से होते हैं। नौकरी की सुरक्षा की कमी के कारण, वे अपनी आय का कम हिस्सा खर्च करते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए अधिक बचत करते हैं, जो कि कुल मांग को प्रभावित करता है और इसलिए अर्थव्यवस्था में योगदान और रोजगार को प्रभावित करता है। हमें ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके एक वैकल्पिक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें कार्य गुणवत्ता के साथ-साथ नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

7.2 व्यावहारिक रूप से, निजी क्षेत्र में न केवल संविदाकरण जारी रहेगा, बल्कि नियोक्ता अपने नुकसान को कम करने के लिए कठिन परिस्थितियों के दौरान कर्मचारियों को रोजगार से निकालना जारी रखेगा। इसलिए सरकार को एक 'सक्रिय श्रम बाजार कार्यक्रम (ए.एल.एम.पी.)' शुरू करना चाहिए, जिससे ऐसी कठिन परिस्थितियों से बचा जा सके या निकाले गए श्रमिकों को कम से कम समय के अंतराल में अपनी नौकरी वापस मिल सके या दोनों। श्रम बाजार सेवाएं जैसे नौकरी चाहने वालों का वर्तमान रिक्तियों के साथ मिलान, नियुक्ति संबंधी सहायता, नियोजित और बेरोजगार श्रमिकों के लिए स्किल अपग्रेडेशन आदि ए.एल.एम.पी. की कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं। वास्तव में ए.एल.एम.पी. को उन प्रवासी कामगारों की चिंताओं का भी समाधान करना चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में गांव छोड़कर शहर में काम करने के लिए आए हैं। एक मजबूत डेटा बेस बनाए रखते हुए उन्हें नौकरी पाने, अच्छा जीवन जीने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच बनाने में मदद मिलनी चाहिए। ए.एल.एम.पी. को श्रम मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से प्रशासित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए स्थानीय अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग ले सकते हैं।

7.3 'बेरोजगारी भत्ता' कानूनी अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक बेरोजगार को प्रत्येक महीने 'बेरोजगारी भत्ता' मिलना चाहिए। बेरोजगार महिलाओं एवं अपने ही घर में काम करने वाली महिलाओं को भी 'बेरोजगारी भत्ता' मिलना चाहिए। 'बेरोजगारी भत्ता' प्रदान करने में महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक महीने 'बेरोजगारी भत्ता' अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन का एक चौथाई दिया जाना चाहिए। बेरोजगारों को राहत देने के अलावा यह सरकार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक प्रकार का दबाव बनाएगा। 'बेरोजगारी भत्ता' का प्रावधान अक्सर जड़ता और प्रतिकूल चयन की समस्याएं पैदा करता है। दूसरे शब्दों में, 'बेरोजगारी भत्ता' के कारण, लोग या तो काम करने में कम रुचि रखने लगते हैं या जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, वे भी इसके लिए अपना नामांकन करवाते हैं या फिर दोनों। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए 'बेरोजगारी भत्ता' के प्रावधान को सशर्त बनाया जाना चाहिए जैसे 'कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम' और 'सामाजिक जागरूकता एवं सार्वजनिक कार्यक्रम' में भाग लेना आदि।

7.4 सरकार को अकुशल और अर्धकुशल श्रम को अवशोषित करने की विशाल क्षमता वाले बड़े पैमाने पर 'सामाजिक जागरूकता एवं सार्वजनिक कार्यक्रम' शुरू करने चाहिए। श्रम बाजारों में अस्थायी संकट को कम करने के लिए सरकार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'सामाजिक जागरूकता एवं सार्वजनिक कार्यक्रम' शुरू करने चाहिए। विशेष रूप से मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी सरकारी योजना शुरू करनी चाहिए। 'सामाजिक

जागरूकता एवं सार्वजनिक कार्यक्रम' के अलावा, सामाजिक सुरक्षा और गरीबी कम करने के उद्देश्य से आपदा जैसे बाढ़, मौसमी खाद्य असुरक्षा, सूखा संभावित ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा आजीविका कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। कार्यक्रम का मुख्य लक्षित समूह अत्यंत गरीब परिवार होने चाहिए। इन कार्यक्रमों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक कार्यों, संपत्ति हस्तांतरण (नकद / वस्तु), आजीविका से संबंधित प्रशिक्षण, बाजार विकास और सामाजिक विकास गतिविधियों के संयोजन का उपयोग करना होगा।

8. मिनिमम वेज एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स रिस्पेक्टफुल लाइफ - श्रमिकों के सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा

इस देश में श्रमिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है।

8.1 न्यूनतम मज़दूरी के अभाव में, मांग और आपूर्ति जैसी बाजार शक्तियों के कारण श्रमिकों का शोषण किया जाता है। हमारी श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था होने के कारण, आपूर्ति पहले से ही अधिक है और मशीनीकरण श्रम की मांग को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को कम या जीवन निर्वाह मज़दूरी दी जाती है। यह न्यूनतम मज़दूरी है जो श्रमिकों को बाजार के शोषण से बचा सकती है। हमारे देश में न्यूनतम मज़दूरी कानून हैं और समय-समय पर संसद द्वारा न्यूनतम मज़दूरी में संशोधन किया जाता है। वर्तमान न्यूनतम मज़दूरी एक मज़दूर के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है।

वर्ष 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित फार्मूले एवं वर्ष 1991 में रेप्ताकोस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर पूरे देश में न्यूनतम मज़दूरी सरकारों द्वारा तय की जानी चाहिए। न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए छः महत्वपूर्ण मानदंड निम्नलिखित हैं;

- (i) न्यूनतम वेतन की गणना में, मानक मज़दूर वर्ग परिवार में एक मज़दूरी कमाने वाला तीन व्यक्तियों (उपभोग इकाइयों) का समर्थन करता है।
- (ii) न्यूनतम भोजन आवश्यकता की गणना प्रतिदिन प्रत्येक 'उपभोग इकाई' के लिए 2731 कैलोरी के शुद्ध सेवन के आधार पर की जाती है।
- (iii) कपड़ों की आवश्यकताओं को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 18 गज के रूप में लिया जाता है, जो औसतन मज़दूर परिवार में चार लोगों के लिए प्रति वर्ष कुल 72 गज होगा।
- (iv) आवास के संबंध में किराया, न्यूनतम मज़दूरी के 10 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।
- (v) ईंधन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य 'विविध' व्यय की चीजें कुल न्यूनतम मज़दूरी का 20 प्रतिशत होनी चाहिए।
- (vi) बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता एवं त्योहारों/समारोहों सहित न्यूनतम मनोरंजन और वृद्धावस्था तथा विवाह आदि के लिए प्रावधान कुल न्यूनतम मज़दूरी का 25 प्रतिशत होना चाहिए।

8.2 इसके अलावा, प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी फ्रेमवर्क और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का दायरा सभी प्रकार के काम एवं काम करने वालों जैसे डॉमेस्टिक वर्कर्स, ऑनलाइन नौकरियों एवं गिग इकोनॉमी के श्रमिकों आदि तक बढ़ाया जाना चाहिए।

8.3 सरकार को एक नकारात्मक व्यक्तिगत आयकर नीति भी पेश करनी चाहिए, जहां सरकार उन व्यक्तियों को वापस भुगतान करती है जो एक निश्चित आय स्तर से नीचे आते हैं। इसके लिए, सरकार को एक कट-ऑफ आय निर्धारित करनी चाहिए, जिसे वह न्यूनतम आय मानती है, और जो कोई भी इस कट-ऑफ आय से कम आय प्राप्त कर रहा है, उसे न्यूनतम कटऑफ आय और व्यक्ति की आय के बीच के अंतर के बराबर राशि प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, यदि सरकार कट-ऑफ आय को 10,000 रुपये प्रति माह पर तय करती है और नकारात्मक आय कर दर 50 प्रतिशत है। एक व्यक्ति जो 5,000 रुपये की आय प्राप्त कर रहा है उसको 5000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। यह संरचना आदर्श रूप से आलस्य के बजाय काम को प्रोत्साहित करेगी।

9. एम. एस. पी. फॉर क्रॉप्स - फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (MSP) एक पूर्व-घोषित गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है जो किसानों को कटाई के मौसम में फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाता है। किसान खेती में अपना श्रम और पैसा खर्च करते हैं, अक्सर किसान खेती के लिए यह पैसा ब्याज पर लेते हैं। लेकिन कटाई के बाद जब वे फसल बेचना चाहते हैं और यदि बाजार के कारकों के कारण चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक, बाजार मूल्य काफी कम हो जाता है, तो श्रम की मजदूरी तो दूर वे अपनी लागत की भरपाई भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में, एम.एस.पी. किसानों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। जब बाजार मूल्य, वादा किए गए मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकारी एजेंसियां इन उत्पादों को किसानों से एम.एस.पी. पर खरीदती हैं।

9.1 किसानों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वामीनाथन कमेटी (2006) के फार्मूले के आधार पर एम.एस.पी. तय करके कानून बनाया जाए। स्वामीनाथन कमेटी (2006) ने सुझाव दिया था कि एम.एस.पी. को खेती की सभी लागतों जिसमें भूमि का किराया और पूंजी की लागत भी शामिल है, से 50 प्रतिशत ऊपर तय किया जाना चाहिए। वर्तमान में, हालांकि सरकार का कहना है कि वह एम.एस.पी. को खेती की लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय करती है, जिसमें यह खेती और पारिवारिक श्रम की सभी भुगतान की गई लागतों को ध्यान में रखती है, लेकिन भूमि का किराया और पूंजी की लागत को छोड़ देती है जिसे एम.एस.पी. निर्धारित करते समय जोड़ने की आवश्यकता है।

9.2 सही एम.एस.पी. तय करने के साथ-साथ इसे सही से लागू किया जाना चाहिए। सरकार को किसानों द्वारा बिक्री के लिए दी जाने वाली हर एम.एस.पी. निर्धारित फसल की खरीद करनी चाहिए।

9.3 अंत में, वर्तमान में एम.एस.पी. केवल 23 फसलों के लिए उपलब्ध है जिसमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। जबकि और भी कई अन्य फसलें हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बोई जाती हैं, उन्हें भी एम.एस.पी. के दायरे में शामिल करने की आवश्यकता है।

10. मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सर्विसेज - आधुनिक और पारंपरिक सेवाएं

मूल्यवर्धन के मामले में अपेक्षाकृत हमारे सेवा क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। इसलिए, विश्व अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का विस्तार करने का भी प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक रोजगार सृजित किए जा सकें। मोटे तौर पर हमारे सेवा क्षेत्र को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है; आधुनिक और पारंपरिक सेवाएं।

10.1 आधुनिक सेवा क्षेत्र, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की नौकरियां प्रदान करता है। रोजगार के वैकल्पिक रास्ते के रूप में ऑनलाइन नौकरियां व गिग इकोनॉमी नौकरियां तेजी से उभर रही हैं। सीमाहीन प्लेटफॉर्म, प्रशासनिक प्रतिबंधों की कमी, समय और संसाधनों का लचीलापन और सबसे बढ़कर कोविड-19 महामारी ने गिग इकोनॉमी के दायरे का विस्तार किया है। साथ ही, शिक्षित युवाओं की संख्या और सूचना प्रौद्योगिकी में मजबूती, भारत में गिग इकोनॉमी के विकास के लिए एक अनुकूल स्थान प्रदान करती है। इस प्रकार, गिग इकोनॉमी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि लाखों शिक्षित युवाओं को इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिल सके।

10.2 ऑनलाइन नौकरियों के अलावा, हमें टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हैल्थकेयर, एजुकेशन, कंसल्टेंसी और वित्तीय सेवाओं जैसे ऑफलाइन सेवा क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। वास्तव में, हैल्थकेयर और शिक्षा क्षेत्रों को टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। आधुनिक टूरिज्म क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म, इको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म आदि शामिल हैं। यदि हम इन क्षेत्रों को विकसित कर लेते हैं, तो देश में लाखों नौकरियां प्रदान की जा सकती हैं। इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार को कौशल निर्माण, कानून व्यवस्था और भौतिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने की जरूरत है। विभिन्न स्तरों पर समन्वित कार्यों की आवश्यकता है।

10.3 जहां तक पारंपरिक सेवाओं का संबंध है, 1991 से पहले हमारे पास ऐसी प्रणाली थी जिसके तहत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान किए जाते थे। 1991 में उदारीकरण के बाद, निजी क्षेत्रों ने स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। उदारीकरण को लगभग तीन दशक हो चुके हैं और प्राइवेट कंपनियों की स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में भारी उपस्थिति है। साथ ही, इन क्षेत्रों में उनकी भूमिका का विस्तार हो रहा है। दुर्भाग्य से, आय वितरण के निचले पायदान के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के निजी प्रावधान से कोई लाभ नहीं हुआ है। यह उनके लिए रामबाण से ज्यादा मुसीबत लेकर आया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर उनके सामर्थ्य से ज्यादा होने वाले खर्च ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

10.4 महत्वपूर्ण रूप से, नौकरी में रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए सरकार को राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। वास्तव में, सरकार को एक निर्धारित अवधि के भीतर रिक्तियों को भरने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

10.5 अंत में, एक नोडल एजेंसी की गंभीर आवश्यकता है जो सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए अवसरों की पहचान करने और उपयुक्त रणनीतियों को बनाने एवं लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। नोडल एजेंसी की शाखाएं जिला स्तर पर होंगी जो सेवा क्षेत्र के लिए रोजगार नीति में स्थानीय विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करेंगी।

इस प्रकार, सरकार को उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनानी चाहिए ताकि भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके।

संसाधन संग्रह

महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति द्वारा प्रस्तावित 10 एम को लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा ?

भारत में पैसे की कमी नहीं है। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2018 के अनुसार, भारत में केवल अरबपतियों की कुल संपत्ति वर्तमान में लगभग 557 लाख करोड़ रुपये है। हमें सोचना यह है कि हमारे देश के पास अपार श्रम शक्ति, प्राकृतिक संसाधन तथा पूंजी का समायोजन कैसे किया जाए, जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। इसको लेकर दो तरह की सोच है। पहली सोच के अनुसार, अगर कुछ लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो धीरे-धीरे उसका हिस्सा नीचे तक पहुंचता है और उससे उनका भी विकास हो जाएगा। जिसको अर्थशास्त्र में 'ट्रिकल डाउन थ्योरी' कहा जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में लंबे समय से इस सोच के साथ काम करने के बावजूद बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ रही है।

भारत के सभी पहलुओं तथा दुनिया के अंदर किए गए कई प्रयोगों के अध्ययन से यह साफ दिख रहा है कि बेरोजगारी को खत्म करके विकसित भारत के निर्माण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को और गतिमान बनाना पड़ेगा। दूसरी सोच के अनुसार, सबसे जरूरी है कि भारत के सभी लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाया जाए। जिससे बाजार में मांग पैदा हो और उसकी आपूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया में न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि व्यापार व उद्योग की बढ़ोतरी से व्यापारियों व उद्योगपतियों को भी पहले से ज्यादा फायदा होगा।

इसलिए आज वक्त की मांग है कि जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं चाहे वह श्रमिक हो या पूंजीपति या सरकार, सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे जरूरी है कि देश के सभी लोगों के लिए रोजगार के रूप में अवसर प्रदान किए जाएं। जिससे लोग अपने श्रम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। जिसके लिए सरकार अपने बजट का कम से कम 5 प्रतिशत रोजगार सृजन के लिए खर्च करें। साथ ही साथ देश की मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रखते हुए देश के सभी अरबपति अपनी संपत्ति का 2 प्रतिशत हिस्सा 'राष्ट्र निर्माण कर' के रूप में समर्पित करें। इसके साथ-साथ रोजगार सृजन कोष के लिए उन उद्योगों को जहां बड़े पैमाने पर मानव श्रम की जगह मशीनीकरण का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें 'रोबोट/ऑटोमेशन कर' के रूप में सहयोग देना चाहिए। जिससे राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करके राष्ट्र निर्माण द्वारा भारत को खुशहाल विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।

कानूनी ढांचा

संसाधन संग्रह के अलावा रोजगार सृजन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कानूनी तंत्र (कानून और न्यायाधिकरण) के निर्माण की आवश्यकता है। रोजगार सृजन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। कानून बनाने के साथ-साथ सबसे निचले स्तर से शुरू करके सभी स्तर पर न्यायाधिकरण बनाए जाने चाहिए ताकि व्यवसाय निर्माण और रोजगार सृजन से संबंधित विभिन्न शिकायतों का समाधान किया जा सके। विशेष रूप से, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एक अर्ध-न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रस्तावित न्यायिक व्यवस्था में घरेलू कामगार के रूप में काम करने वाली महिलाओं, रेहड़ी-पटरी वालों और कारखाना क्षेत्र में अनौपचारिक/असंगठित कामगारों के मुद्दों और चिंताओं का समाधान होना चाहिए।

निगरानी और मूल्यांकन

अंत में, राष्ट्रीय रोजगार नीति के कार्यान्वयन और रोजगार सृजन में प्रगति का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए और यह निगरानी व मूल्यांकन समय और स्थान के हिसाब से एक अलग इकाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। इकाई द्वारा ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार नीति के निगरानी व मूल्यांकन हेतु सूचना प्रणाली प्रबंधन (एमआईएस) ढांचा विकसित करना चाहिए।